न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए / 126 / 2017

उनवान

1. कैलाश पुत्र जमना लाल नाई निवासी लडकी, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. पप्पू पुत्र जमना लाल नाई निवासी लडकी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. सुरेश पुत्र जमना लाल नाई निवासी लडकी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 89 / 2016 निर्णय दिनांक 28.2.2017 एवं तहसीलदार, रायपुर के प्रकरण संख्या 27 / 2016 निर्णय दिनांक 18.10.2016

——

अधिवक्तागण :–

1. श्री सुनिल जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 15.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीथा का खेडा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लडकी तहसील रायपुर की आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.48 हे0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.03 हे0 पर संवत 2073 में बाडा बनाकर अतिक्रमियान श्री कैलाश, पप्पू, सुरेश पिता जमना लाल नाई ने अतिक्रमण कर लिया अतः अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण तहसीलदार, रायपुर ने अप्रार्थीगण को ग्राम लडकी तहसील रायपुर की आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.48 हे0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.03 हे0 पर संवत 2073 में बाडा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा लगान का पचास गुणा 50/–रूपये के अर्थदण्ड तथा 30 दिन एवं 29 रात्री के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की ।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.2.2017 द्वारा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को प्रोपर तामील नहीं कराई गई है। अपीलाण्ट पप्पू व कैलाश जो कि सूरत (गुजरात) रहते है, गांव में रहते ही नहीं है जिन्हे प्रोपर तामील नहीं हुई है। जो कि सुरेश की तामील से साबित है तथा अपीलाण्ट्स बाहर ही रहते हैं , उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी गरीब काश्तकार है यदि उसे सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया गया तो उसका परिवार भूखों मर जायेगा। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है । इस संबंध में तहसीलदार, रायपुर ने अपनी रिपोर्ट में भी यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी से अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है । उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पडी हुई होकर किसी का अतिक्रमण नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने संबंधी शपथ पत्र भी दिनांक 15.4.2017 को पेश कर दिया गया था। अतः अपीलार्थीगण के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण 2010 (16) आर बी जे पेज 57 एवं 2011 आर आर टी (2) पेज 1163 प्रस्तुत किया ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण राजकीय भूमि पर अतिचार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करने का आदि है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है । वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का निवेदन है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये थे। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा की पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया गया । उक्त नोटिस दिनांक 11.8.2016 को तहसीलदार, रायपुर द्वारा अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी नम्बर 1035 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप जारी किया गया है। उक्त नोटिस सुरेश को तामील हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई अथवा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, को साबित करने में अपीलार्थीगण असफल रहे हैं।

8. साथ ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात से अपीलार्थीगण ने कब्जा हटा लिया है एवं वे भविष्य में कभी भी वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा नहीं करेंगें। इस बाबत अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण सुरेश सेन, एवं पप्पू सेन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त शपथ पत्र में अपीलार्थीगण द्वारा अंकित किया गया है कि " मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि राजस्व ग्राम लडकी पटवार हल्का पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.45 हे0 में से 0.03 हे0 पर **मुझ शपथकर्ता व मेरे भाई कैलाश, व पप्पू द्वारा कभी भी छडी की बाड लगाकर मौके पर अतिक्रमण नहीं किया है** व आज भी हमारा कोई अतिक्रमण मौके पर नहीं है व न ही भविष्य में ऐसा अतिक्रमण ही करेंगे। " उक्त शपथ पत्र में वादग्रस्त आराजी पर कभी भी अतिक्रमण नहीं करने का कथन अंकित है। इसके विपरीत अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि " प्रार्थीगण को ग्राम लडकी की नवीन आराजी संख्या 1035 रकबा 0.03 हे0 भूमि के संबंध में अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया । **उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण हमारे पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा हर वष मातहत न्यायालय में राजस्व शुल्क जमा कराते आ रहे हैं।**" अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.8.2016 में अंकित कथन विरोधाभाषी है।

9. यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लेने का कथन किया है एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं है इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार,रायपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.4.2019 से भी होती है। परन्तु चूंकि स्वयं अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर पर अपने पिता के समय से ही कब्जा होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार रायपुर की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 27.7.2016 में भी पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी पर नियमित अतिक्रमण होने का तथ्य अंकित किया है। मौका पर्चा दिनांक 5.8.2016 के में भी अपीलार्थीगण को धारा 91 के प्रकरण संख्या 23/16 की पालना में अतिक्रमण जे सी बी की सहायता से ग्राम लडकी के आराजी नम्बर 1035 गैर मुमकिन रास्ता का हटाया जाना प्रमाणित हुआ है।

10. चूंकि अपीलार्थीगण रास्ते की जमीन जो कि सार्वजनिक उपयोग उपभोग के काम में आती है ऐसी भूमि पर रेकार्ड से पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित हुए हैं। जिनके विरूद्ध नरमी का रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है।

11. परिणामतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 28.2.2017 एवं तहसीलदार, रायपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2016 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 15.5.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

15/5/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा